

फैक्स/ स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-3011/2014 श्र0सं0- 111
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया एवं अरवल

पटना, दिनांक :- 24-3-15

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी. 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1837 दिनांक-30.6.14 एवं संशोधित विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-787 दिनांक-17.03.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय के निमित्त राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर रू0 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	गया	29	290000	श्रम अधीक्षक, गया का पत्रांक-813 दिनांक- 12.12.14 जयपुर (राजस्थान)से विमुक्त कराये गये 29 बंधुआ मजदूरों के लिए।
तदैव	अरवल	01	10000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद का पत्रांक-752 दिनांक-15.12.14 के आलोक में जयपुर (राजस्थान)से विमुक्त कराये गये 01 बंधुआ मजदूरों के लिए।
	कुल योग	30	300000	

कुल आवंटित राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि०(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि०दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

विश्वामभाजन,

(अजय कुमार चौधरी)
श्रमायुक्त, बिहार
24/3/15

ज्ञापांक-6/एफ1-3011/2014 श्र0सं0-

पटना, दिनांक 24-3-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)
श्रमायुक्त, बिहार ।
24/3/15

ज्ञापांक -6/एफ1-3011/2014 श्र0सं0

111

पटना, दिनांक

24-3-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया /अरवल/उप श्रमायुक्त, गया/श्रम अधीक्षक, गया/जहानाबाद /आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त(प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय को उनके गै.स.प्रे.सं.-159(श्रम पक्ष) दिनांक-22.12.14 के आलोक में)/प्रशाखा-01 श्रम पक्ष /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार ।

24/3/15